बिहार विधान परिषद

(200वां बजट सत्र)

Short Notice Questions For Written Answers

15 मार्च, 2022

[ऊर्जा - उद्योग - स्वास्थ्य - अल्पसंख्यक कल्याण - गन्ना उद्योग - संसदीय कार्य - विधि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग].

Total Short Notice Question- 9

दवा की उपलब्धता

*76 **श्री रामचन्द्र पूर्वे (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि राज्य के प्रतिष्ठित पी.एम.सी.एच. में मरीजों को अस्पताल से दवा नहीं मिलने के कारण उन्हें अधिक रकम देकर बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है जिसके चलते गरीब मरीजों को काफी परेशानी होती है;

(ख) क्या यह सही है कि ब्रेन हैमरेज एवं कोरोना उपचार के लिए एंटीएलर्जिक, लियो सेट्रेजिन और 500 एम. जी. एजिथ्रोमाइसिन के साथ-साथ इंट्राकैथ जैसी दवा पी.एम.सी.एच. में नहीं है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पी.एम.सी.एच. में मरीजों के इलाज हेतु संबंधित सभी दवाओं को उपलब्ध कराना चाहती है, यदि नहीं तो क्यों?

समस्या का निराकरण

*77 **डा. संजीव कुमार सिंह (कोशी शिक्षक):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि भागलपुर जिलान्तर्गत नवगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में आदिनांक आधुनिक जांच की व्यवस्था प्रारंभ नहीं की गई है और न ही स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में चिकित्सक पदस्थापित हैं;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इस अस्पताल में प्रश्नांकित समस्याओं का निराकरण करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

डॉक्टर एवं नर्स की व्यवस्था

***78 श्री संजीव श्याम सिंह (शिक्षक गया):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के आमस प्रखण्ड के लगभग सभी स्वास्थ्य उप केन्द्रों का बुरा हाल है;

(ख) क्या यह सही है कि डॉक्टर एवं नर्सों की कमी के कारण सभी में ताले लटके हुए हैं और सभी केन्द्र सिर्फ कागज पर चल रहे हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शीघ्र गया जिले के आमस प्रखण्ड के सभी स्वास्थ्य उप केन्द्रों में डॉक्टरों एवं नर्सों की व्यवस्था कराना का चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कर्मियों की व्यवस्था

***79 श्री नीरज कुमार (पटना स्नातक):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आई बैंक के लिए वातानुकूलित और सुविधाओं से सम्पन्न भवन की तैयारी है;

(ख) क्या यह सही है कि आई बैंक के लिए विभाग द्वारा सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सही है कि पारा मेडिकल स्टाफ, प्रशिक्षित तकनीशियन नहीं होने के कारण आई बैंक नहीं खुल सका है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आई बैंक खोलने हेतु कर्मियों की कमी दूर करने का विचार करती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

संख्या बढाने पर विचार

*80 **डा. समीर कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य के सभी सदर अस्पतालों में एनेस्थीसिया चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के विभिन्न सदर अस्पतालों में एनेस्थीसिया चिकित्सकों की संख्या 3 (तीन) से 4 (चार) होना अनिवार्य है;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य के अरवल सदर अस्पताल में एनेस्थीसिया चिकित्सक की संख्या मात्र 1 (एक) है, जिससे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार अरवल जिले के सदर अस्पताल में एनेस्थीसिया चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने पर विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

जांच की व्यवस्था

*81 **मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, शिवहर जिलान्तर्गत (फतहपुर) में मरीजों की विभिन्न बीमारियों की जांच के लिए व्यवस्था में कमी रहने के कारण मरीजों को काफी कठिनाई होती है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सीएचसी (कम्युनिटी हेल्थ सेंटर) में परिवर्तित करते हुए सभी तरह की जांच की व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

विचार कबतक

***82 श्री सुनील कुमार सिंह (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि कोरोना मृतकों के परिजनों के मुआवजा का भुगतान नहीं किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कोरोना से मौत के मामले में पीडि़त परिवार एवं अनाथ बच्चों को मुआवजा राशि देने का निर्देश दिया था;

(ग) क्या यह सही है कि राज्य में कोरोना से मौत के मामले में 11,000 (ग्यारह हजार) पीडि़त परिवारों ने मुआवजा हेतु आवेदन दिया था जिनमें 3,000 (तीन हजार) से अधिक आवेदन जांच की प्रक्रिया में अबतक लंबित हैं;

(घ) क्या यह सही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रिजेक्ट आवेदन का कारण राज्य सरकार की वेबसाइट पर देने का निर्देश दिया था जिससे परिवार आवेदन में हुई कमी को दूर कर सके, जिसका अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है;

(ड.) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार वंचित पीडि़त परिजनों को मुआवजे की राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

कठोर कार्रवाई

***83 डा. वीरेन्द्र नारायण यादव (स्नातक सारण):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-
क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि सिवान जिले के गोरैया कोठी प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) में डा. सुबोध कुमार सिंह 28.11.2004 से पदस्थापित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि डा. सुबोध कुमार सिंह कभी भी उपस्थित नहीं रहते हैं, सिर्फ हाजिरी बनाकर अपने निजी क्लिनिक पर बैठते हैं और वहां के ग्रामीणों ने भी आपत्ति की है एवं स्थानीय राजनीति में संलिप्त हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इनके क्रियाकलाप और दबंगता के चलते स्वास्थ्य केन्द्र के कर्मचारी भयभीत रहते हैं;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार ऐसे पदाधिकारी को स्थानांतरण करते हुए इनके पूरी क्रियाकलापों की जांच कराकर कठोर कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

भुगतान शीघ्र

***84 श्री गुलाम रसूल (विधान सभा):**

क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे:-

क्या मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि-

(क) क्या यह सही है कि स्व. डा. एफ. आर. मलिक पूर्व में मुंगेर सदर अस्पताल, परिहार स्थित ब्लड बैंक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत थे;

(ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 से वर्ष 2015 तक की मानदेय की अंतर राशि का भुगतान उनके परिवार को अभी तक नहीं किया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार स्व. डा. एफ. आर. मलिक के मानदेय के बकाया की अंतर राशि का भुगतान शीघ्र कराना चाहती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?